हम में से कुछ के विरूद्ध धमकियाँ

हम सभी के लिए समस्या

NSW एक शक्तिशाली समुदाय है जहाँ विविधता को सम्मान दिया जाता है। NSW में ऐसे कानून हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित है व उसके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वह कोई भी हो।

यदि आपको, आपके विरूद्ध सार्वजनिक रूप से हिंसा या हिंसा उकसाए जाने का अनुभव है तो यह तथ्य पत्र, NSW के उन कानूनों के बारे में जानकारी देता है जो आपको सुरक्षित रखते हैं।

यदि आपके साथ ऐसा होता है तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि आपको क्या करना है, यह सुझाव भी कि आप कानूनी सहायता कहाँ से ले सकते हैं व सहायता सेवाओं के लिंक भी दिए गए हैं।

सार्वजनिक रूप से धमकी देना या हिंसा के लिए उकसाना

(धारा 93Z अपराध अधिनियम 1900 (NSW))

(SECTION 93Z CRIMES ACT 1900 (NSW))

NSW में यदि कोई *जान-बूझ कर या लापरवाही से* ऐसी सार्वजनिक क्रिया करता है जिसके द्वारा निम्नलिखित कारणों से किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के विरूद्ध हिंसा की जाती है या उकसाई जाती है तो:

- जाति
- धार्मिक मान्यताएँ या धर्म से संबंधित
- लैंगिक रुझान
- लिंग द्वारा पहचान करना
- मध्यलिंगी (Intersex) या
- HIV/AIDS स्थिति

वे अपराधिक कानून के अंतर्गत अपराधी हैं।

यदि आप NSW की पुलिस को किसी किस्से के बारे में **बताते हैं तो** वे आपसे पूछेंगे कि यह किसने किया है, और यह बताने से पुलिस को जाँच-पड़ताल करने में मदद मिलेगी। उस व्यक्ति को S93Z के अंतर्गत तभी कसूरवार माना जाएगा जब पर्याप्त सबूत हो जो यह प्रमाणित करे कि उसने यह जुर्म बिना किसी मुनासिब शंका के किया है।

हिंसा उकसाने का अर्थ है ऐसी चीज़ें कहना या करना जो अन्य लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काती हैं।

सार्वजनिक क्रिया में कोई भी क्रिया जिसे लोग देख सकते हैं वह शामिल है, जैसे कि बोलना, लिखना, नोटिस प्रदर्शित करना, रिकॉर्ड करी गई सामग्री बजाना, प्रसारित करना, सोशल मीडिया व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके, क्रियाएँ, हाव-भाव, किसी प्रकार के कपड़े पहनना या चिन्ह, झंडे, प्रतीक व तमगों का प्रदर्शन करना जिन्हें लोग देख सकते हैं।

सार्वजनिक क्रिया, निजी संपत्ति पर भी हो सकती है।

उदाहरण 1 (ओमार का चित्र)

"मैं फ़ेसबुक पर था और मैंने अपनी स्थानीय मस्ज़िद के पृष्ठ पर देखा कि किसी ने टिप्पणी की है जो सबके देखने के लिए थी। जिसने भी यह लिखा था उस व्यक्ति ने हमारे बारे में भद्दे शब्द लिखे थे तथा यह भी कहा कि वे हम जैसे मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपने संदेश के अंत में खोपड़ी व क्रास के साथ हड्डियों की कई इमोजियाँ भी लगा दीं। जब मैंने देखा कि उन्होंने क्या लिखा है तो मुझे अपनी व उन सब कि सुरक्षा के बारे में चिन्ता होने लगी जो उस मस्ज़िद में प्रार्थना करते हैं।"

जो टिप्पणी ओमार ने देखी वह **s93z के अंतर्गत जुर्म** हो सकता है।

यह फ़ेसबुक टिप्पणी एक **धमकी** है क्योंकि संदेश में लिखा था कि वह मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं और उसमें खोपड़ी व क्रास के साथ हड्डियों की कई इमोजियाँ भी लगा दी गई थीं।

यह **सार्वजनिक** भी थी क्योंकि यह संदेश एक सार्वजनिक सोशल मीडिया के पृष्ठ पर दिया गया था। और **यह कुछ लोगों की धार्मिक मान्यताओं के कारण उनके विरूद्ध दिया गया था;** इस मामले में क्योंकि वे मुसलमान थे।

उदाहरण 2 (जेस का चित्र)

"मैं अपने घर की परचूनी का सामान लेने के लिए दुकानों के तरफ़ जा रहा था और मैंने देखा कि रातों-रात किसी ने कारपार्क में कई पोस्टर लगा दिए थे। पोस्टरों की यह माँग थी कि समलैंगिक लोगों को जान से मार देना चाहिए। यह बहुत ही ख़ौफ़नाक था। पोस्टर के नीचले हिस्से में किसी संगठन का नाम सिखा था। मैंने तुरन्त ही पुलिस को बताया और वह इसकी जाँच-पड़ताल करेगी।"

जेन ने जो पोस्टर देखे वह **s93z के अंतर्गत जुर्म हो सकते हैं।**

यह पोस्टर **हिंसा के लिए उकसा रहे थे** और लोगों से यह कह रहे थे कि जिन दलों का नाम लिया गया है उनके सदस्यों को जान से मार दिया जाए।

यह पोस्टर **सार्वजनिक** थे क्योंकि उन्हें ऐसे कारपार्क में लगाया गया था जो आम लोगों के उपयोग के लिए था।

और यह **किसी विशेष दल के विरूद्ध दिए गए थे क्योंकि वे समलैंगिक थे।**

र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (FREE SPEECH) के बारे में क्या कह सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह अधिकार है कि आपके विचार बिना हस्तक्षेप के हैं व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी माध्यम में हो सकता है।

NSW में ऐसे कानून हैं जो 'सार्वजनिक व्यवस्था' की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज शान्तिपूर्वक व प्रभावशाली रूप से काम करे। ये कानून निम्नलिखित किए जाने को ग़ैर-कानूनी मानते हैं:

- जान-बूझ कर या लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध हिंसा की जाती है या उकसाई जाती है।
- किसी को बदनाम करना।
- किसी व्यक्ति के विरूद्ध पक्षपात करना।

सार्वजनिक रूप से धमकाने व हिंसा के लिए उकसाने के बारे में कौन रिपोर्ट कर सकता है?

NSW पुलिस से कोई भी शिकायत कर सकता है। रिपोर्ट करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति को हिंसा का शिकार होना चाहिए।

क्या इसके लिए कोई समय की सीमा है?

नहीं। कोई समय की सीमा नहीं है।

यदि मुझे लगता है कि कोई हादसा हुआ है तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

यदि आपको लगता है कि कोई हादसा हुआ है तो आप पुलिस को रिपोर्ट लिखवा सकते/सकती हैं:

- यदि आप ऐसे हादसे के बारे में रिपोर्ट करना चाहते/चाहती हैं जो उस समय हो रहा है तो तीन बार शून्य 000 पर फ़ोन करें।
- अन्य समय पर पुलिस सहायता लाईन 131 444 पर फोंन करें या नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाएँ।

मेरे द्वारा पुलिस को बताने के बाद क्या होता है?

जब आप हादसे की रिपोर्ट कर देते हैं तो इसके बाद पुलिस इसकी जाँच-पड़ताल करेगी। वे ऐसा करेंगे:

1. यह निर्णय लेंगे कि अपराधी पर s93z के अंतर्गत जुर्म लगाना चाहिए या नहीं। यदि अपराधी ने हिंसा के लिए उकसाने या धमकाने के समय ही कोई अन्य जुर्म किया है जैसे कि अवैध मार-पीट करना तो हो सकता है कि पुलिस अपराधी पर अवैध मार-पीट करने का जुर्म लगा सकती है और हिंसा के लिए उकसाने या धमकाने के लिए नहीं। जब अपराधी को सज़ा दी जाएगी तो हिंसा के लिए उकसाने या धमकाने के बदले में अवैध मार-पीट करने के जुर्म को अधिक गम्भीर बना देगी।

2. यदि वे अपराधी पर s93z के अंतर्गत जुर्म लगाने का फ़ैसला करते हैं तो वे सबूत का सारपत्र सार्वजनिक अभियोग डाएरेक्टर के कार्यालय [Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP)] को भेजेंगे। ODPP के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे s93z के अंतर्गत जुर्मों पर कार्यवाही करने की स्वीकृति दें।

यदि पुलिस किसी पर जुर्म न लगाए तो क्या होगा?

कभी-कभी, जो भी हुआ है वह जुर्म अधिनियम 1900, s93z के अंतर्गत नहीं आता है। पर इसके बजाय हो सकता है यह भेदभाव अवरोधी अधिनियम 1977 के अंतर्गत मानहानि या पक्षपात हो।

आप इसके बारे में अधिक जानकारी पक्षपात विरोधी (anti-discrimination) वेबसाईट पर पा सकते हैं: www.antidiscrimination.nsw.gov.au

मैं कानूनी सलाह कहाँ से ले सकता हूँ?

यह जानना कि कौनसे कानून लागू होंगे कठिन हो सकता है। कानूनी सलाह के लिए **1300 888 529** पर फ़ोन करें।

www.legalaid.nsw.gov.au or www.clcnsw.org.au